रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4002] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/ अग्रहायण 22, 1941
No. 4002] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4453(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

29 नवंबर, 2019

श्री कनकमंडल रविन्द्र कुमार, सदन में दल नेता राज्य सभा (टीडीपी) श्री जयदेव गल्ला, नेता (टीडीपीपी), श्री केसीनेनी श्रीनिवास (नानी), संसद सदस्य, लोक सभा और श्री किन्जरापू राममोहन नायडू, संसद सदस्य, लोक सभा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 10.07.2019 को एक याचिका फाइल की गई थी, जिसके द्वारा याचियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन आंध्र प्रदेश से संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री वी. विजयसाई रेड्डी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रत्यर्थी" कहा गया है), की निरर्हता की मांग इस आधार पर की गई थी कि प्रत्यर्थी ने नई दिल्ली स्थित आंध्र भवन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त पद " कहा गया है) के रुप में लाभ का पद धारण किया था। यह अभिकथन किया गया कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति उक्त पद पर की गई थी तथा उसे आंध्र प्रदेश सरकार के जीओ.एम. सं. 68, तारीख 22/06/2019 द्वारा कैबिनेट मंत्री का रैंक प्रदान किया गया था ।

और, याचियों द्वारा फाइल की गई उक्त याचिका को प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन यथा अपेक्षित राय जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किया गया था ।

और, आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (पोल.) ने भारत निर्वाचन आयोग को यह पुष्टि की है कि प्रत्यर्थी ने जी.ओ.एम.सं. 68, तारीख 22-06-2019 के अनुसरण में उक्त पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया था । इसलिए, आयोग की यह राय है कि प्रत्यर्थी लाभ का पद धारण करने के कारण निरर्हित नहीं हो सकता था क्योंकि उसने उक्त पद का प्रभार कभी ग्रहण नहीं किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई तारीख 30-08-2019 की राय की एक प्रति उपाबंध के रूप में संलग्न है ।

अतः, अब, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय के आलोक में मामले पर विचार करते हुए, मैं, राम नाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय करता हूँ कि प्रत्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं हुआ है ।

29 नवंबर, 2019

भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2019 का निर्देश मामला संख्या 5 (पी)

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से निर्देश]

मामलाः 2019 का निर्देश मामला सं. 5 (पी)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन आंध्र प्रदेश से संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री वी विजयसाई रेड्डी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग से राय मांगने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ ।

राय

1. तारीख 30.07.2019 का यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से इस प्रश्न पर राय जानने के लिए प्राप्त हुआ कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन आंध्र प्रदेश से संसद सदस्य (राज्य सभा), श्री वी.विजयसाई रेड्डी संसद सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. उक्त निर्देश में, निरर्हता का प्रश्न श्री कनकमंडल रविन्द्र कुमार, सदन में दल नेता राज्य सभा (टीडीपी), श्री जयदेव गल्ला, नेता (टीडीपीपी), श्री केसीनेनी श्रीनिवास (नानी), संसद सदस्य लोक सभा और श्री किन्जरापू राममोहन नायडू, संसद सदस्य, लोक सभा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष फाइल की गई याचिका में निरर्हता का प्रश्न उद्भूत हुआ था, जिसके द्वारा याचियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन आंध्र प्रदेश से संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री वी.विजयसाई रेड्डी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रत्यर्थी" कहा गया है) की निरर्हता की मांग इस आधार पर की थी कि प्रत्यर्थी ने नई दिल्ली स्थित आंध्र भवन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त पद" कहा गया है) के रुप में लाभ का पद धारण किया था ।

3. प्रत्यर्थी की नियुक्ति उक्त पद पर की गई थी तथा उसे आंध्र प्रदेश सरकार के जी.ओ.एम.सं.68, तारीख 22.06.2019 द्वारा कैबिनेट मंत्री का रैंक प्रदान किया गया था, जो तुरंत प्रभावी हो गया था । तत्पश्चात्, जी.ओ.एम.सं. 68 तारीख 22.06.2019 को आंध्र प्रदेश सरकार के जी.ओ.एम. सं. शून्य, तारीख 04.07.2019 द्वारा रद्द कर दिया गया था ।

4. तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आयोग के पत्र सं. 113/5 (पी)/ई सीआई /एलईटी/एफयूएनसी/जेयूडी/2019/रजिस्ट्री/616, तारीख 20.08.2019 के उत्तर में प्रधान सचिव, (पोल.), आंध्र प्रदेश सरकार सचिवालय ने पत्र सं. जीएडी01-पीआरओटीओएमआईएससी/22/2019- पी आर ओ टी-बी, तारीख 20.08.2019 द्वारा सूचित किया है कि जी.ओ.एम. सं. 68, तारीख 22.06.2019 के अनुसरण में प्रत्यर्थी ने उक्त पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया था । इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हित नहीं हो सकता था क्योंकि उसने उक्त पद का प्रभार कभी ग्रहण नहीं किया ।

5. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि आंध्र प्रदेश राजपत्र में तारीख 06.07.2019 को अधिसूचित आंध्र प्रदेश पेमेंट ऑफ सेलरीज एण्ड पेंशन एण्ड रिमूवल ऑफ डिसक्वालीफिकेशन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019 नामक आंध्र प्रदेश अध्यादेश 2019 का 3, द्वारा उक्त पद को लाभ के पद के उपबंध के लागू होने से छूट प्रदान की गई है।

6. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन वर्तमान निर्देश में निर्वाचन आयोग की राय यह है कि प्रत्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन संसद सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं हुआ है।

ह./-	ह./-	ह./-
(अशोक लवासा)	(सुनील अरोड़ा)	(सुशील चंद्रा)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थानः नई दिल्ली

तारीखः 30.08.2019

[फा.सं. एच- 11026/4/2019- विधायी 2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

S.O. 4453(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

ORDER

29th November, 2019

Whereas a Petition dated 10.07.2019 was filed by Shi Kankamandala Ravindra Kumar, Floor Leader Rajya Sabha (TDP), Shri Jayadev Galla, Leader (TDPP), Shri Kesineni Srinivas (Nani), Member of Parliament, Lok Sabha and Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, Member of Parliament, Lok Sabha (hereinafter, "Petitioners") before the Hon'ble President of India, whereby the Petitioners has sought disqualification of Shri V.Vijaysai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Praesh (hereinafter, "Respondent"), under article 102(1)(a) of the Constitution of India on the ground that the Respondent held an office of profit as a Special Representative of the Andhra Pradesh Government at Andhra Bhavan in New Delhi (hereinafter, "said office"). It was alleged that the Respondent was appointed to the said office and assigned the rank of a Cabinet Minister vide G.O.M No. 68 dated 22-06-2019 of the Government of Andhra Pradesh.

And whereas the said petition filed by the Petitioners was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under article 103 (2) of the Constitution of India on the alleged disqualification of the Respondent.

And whereas the Principal Secretary to Andhra Pradesh to Government (Poll.), Andhra Pradesh Secretariat, has confirmed to the Election Commission of India that the Respondent had not taken charge of the said office in pursuance of G.O.M No. 68 dated 22-06-2019. Therefore, the Commission has opined that the Respondent could not have attained disqualification for holding office of profit as he never took charge of the said office. A copy of the opinion dated 30-08-2019 given by the Election Commission of India is attached as Annexure.

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion rendered by the Election Commission of India, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under article 103 of the Constitution of India, do hereby hold that the Respondent has not incurred disqualification for being a Member of Parliament under article 102(1)(a) of the Constitution of India.

29th November, 2019

President of India

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

REFERENCE CASE NO. 5(P) OF 2019

[REFERENCE FROM THE HON'BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER ARTICLE 103 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

In re: Reference Case No. 5 (P) of 2019 - Reference received from the Hon'ble President of India under Article 103 of the Constitution of India seeking opinion of the Election Commission of India on the question of alleged disqualification of Shri. V. Vijaysai Reddy, Members of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, under Article 102 of the Constitution of India.

OPINION

1. This is a reference dated 30.07.2019 received from the Hon'ble President of India seeking opinion of the Election Commission of India under Article 103 of the Constitution of India on the question whether Shri V. Vijaysai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, has become subject to disqualification for being a Members of Parliament under Article 102(1) (a) of the Constitution of India.

2. In the said reference, the question of disqualification arose out of a petition filed by Shri Kankamandala Ravindra Kumar, Floor Leader Rajya Sabha (TDP), Shri Jayadev Galla, Leader, (TDPP), Shri Kesineni Srinivas (Nani), Member of Parliament, Lok Sabha and Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, Member of Parliament, Lok Sabha (hereinafter, "**Petitioners**") before the Hon'ble President of India, whereby the Petitioners have sought disqualification of Shri V. Vijaysai reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh (hereinafter, "**Respondent**"), under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India on the ground that the Respondent held an office of profit as the Special Representative of the Andhra Pradesh Government at Andhra Pradesh Bhavan in New Delhi (hereinafter, "**the said office**")

3. The Respondent was appointed to the said office and assigned the rank of a Cabinet Minister vide G.O.Ms. No. 68 dated 22.06.2019 of the Government of Andhra Pradesh which came into effect immediately. Subsequently, G.O.Ms. No. 68 dated 22.06.2019 was cancelled vide G.O.Ms. No. nil dated 04.07.2019 of the Government of Andhra Pradesh.

4. However, it is pertinent to note that in response to the Commission's Letter No. 113/5(P)/ECI/LET/FUNC/JUD/2019/Registry/616 dated 20.08.2019 the Principal Secretary to Government (Poll.), Andhra Pradesh Secretariat, has informed *vide* Letter No. GAD01-PROTOMISC/22/2019-PROT-B dated 20.08.2019 that the Respondent had not taken charge of the said office in pursuance of G.O.Ms. No. 68. dated 22.06.2019. Therefore, it is evident that the Respondent could not have attained disqualification for holding office of profit as he never took charge of the said office.

5. It is also pertinent to note that the said office has been exempted from the application of office of profit provision by virtue of Andhra Pradesh Ordinance No. 3 of 2019 titled as Andhra Pradesh Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualification (Amendment) Ordinance, 2019 notified in the Andhra Pradesh Gazette on 06.07.2019.

6. In view of the above, the opinion of the Election Commission under Article 103 of the Constitution of India in the present reference is that Respondent has not incurred disqualification for being a Member of the Parliament under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India.

-sd-	-sd-	-sd-
(Ashok Lavasa)	**(Sunil Arora)**	**(Sushil Chandra)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi

Date: 30.08.2019

[F. No. H-11026/4/2019-Leg.II]

DR. REETA VASHISTHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.17 11:34:01 +05'30'